#2017/00327

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

बनाम तहसीलदार

किस्त मुकदमा ओम प्रकाश नं. सन 250 A/17

प्रा० पत्र धारा 129 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
5/3/18	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। नकल बयाना को नोटिस जारी होकर पक्षावली दिनांक 24/1/18 को पेश हो।	
24/1/18	पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में 16/3/18	
16/3/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण बाबत आंशिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/3/18 को पेश हो।	
22/3/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र के राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण रिकार्ड हस्तगत प्राप्त किया गया। जिस से कयास आता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27/4/18 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि अ० नं० 144 रकबा 0.42 है० वाके ग्राम सेरगढ़ तहसील बयाना के राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30/7/25 [illegible] प्रार्थी [illegible] प्रतिवादी [illegible]

[illegible] पीठासीन अधिकारी.....है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/25 को पेश है।

7/7/25

रीडर
ओ.एस.डी.एम.

नोट पेश की

[illegible]

21/8/25 प्रकरण पेश हुआ। 150 प्रार्थी के [illegible] प्रार्थी अपना [illegible] प्रमाणित पत्र आज नहीं [illegible] है प्रमाणित पत्र इसी तारीख पर प्रमाणित करने का निर्देश दिया। प्रकरण को Post किया। अतः प्रमाणित पत्र प्रार्थी गण 150 प्रार्थी के Post के माध्यम से इसी तारीख पर प्रमाणित किया जाना है प्रकरण को दीवानगंज एक बजे ही तामील कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अजाना / भरतपुर